[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (iii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 31 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि (अ).- देश में और ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता तथा प्राकृतिक गैस पर्यावरणीय अनुकूल ईंधन की मांग सीमित घरेलू गैस उत्पादन के कारण तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनलों के विस्तार को आवश्यक बनाती है ;

और उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों को अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक पारदर्शिता के अधीन और किसी उपभोक्ता जो देश में प्रचारित टैरिफ पर गैस आयात करने की वांछा रखता है, को अतिरिक्त सक्षमता का प्रतिबंध करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए ;

और ऐसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों का प्रचालन करने की स्वतंत्रता तथा बृहत्तर लोकहित में उनके प्रचालन में साम्य पहुंच तथा पारदर्शिता के बीच संतुलन का सुनिश्चय करने की आवश्यकता है जिससे देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का पोषण किया जा सके ;

और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 का खंड (क) तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना या प्रचालन की वांछा रखने वाले निकायों के बीच न्यायोचित व्यापार और प्रतिस्पर्धा के पोषण के माध्यम से उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करने का आदेश देता है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) यह परिकल्पना करती है कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना या प्रचालन

IndiaCode

करने की वांछा रखने वाले निकायों को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड को उक्त अधिनियम के अधीन उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व, पात्रता शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल के रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता शर्तें) नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम उनके राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों के जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में परिभाषित और धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) सभी अन्य शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता शर्तें - (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना की तारीख के पश्चात् किसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना या प्रचालन की वांछा रखने वाला कोई निकाय रजिस्ट्रीकरण के लिए बोर्ड को आवेदन करने के लिए केवल निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही पात्र होगा, अर्थात् :-

(क) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् सभी समय अपनी अप्रतिबद्ध पुनः गैसीकरण क्षमता (पांच वर्ष से कम संविदा) का बीस प्रतिशत या

प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मिट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए), इनमें से जो भी उच्चतर हो, का सामान्य वाहन क्षमता के रूप में प्रस्ताव ;

(ख) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस जैसा कि बोर्ड द्वारा प्रवृत्त विनियमों द्वारा विहित किया गया है जिसके अंतर्गत वे विनियम भी हैं जो तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा विहित किए गए हैं, से संबंधित सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों का पालन ;

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड को, तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल की प्राक्कलित परियोजना लागत के एक प्रतिशत के बराबर या पच्चीस करोड़, जो भी कम हो, रकम की बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत करना ।

[फा.सं.एल-12018/6/2009-जीपी-II]

(अरूणोदय गोस्वामी)
अवर सचिव, भारत सरकार

IndiaCode

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (iii)]

Government of India
Ministry of Petroleum and Natural Gas

Notification

New Delhi, the October 3 , 2012

G.S.R.(E).- Whereas the growing energy needs and demand for natural gas green fuel in the country necessitates the expansion of liquefied natural gas terminals in view of the limited domestic gas productions;

And whereas to protect consumer interests, **liquefied natural gas terminals** must be subject to commercial transparency **and committed to provide additional capacity to any consumer who desires to import gas into the country at publicised tariffs;**

And whereas there is a need to ensure a balance between freedoms to operate such **liquefied natural gas terminals**, and equitable access and transparency in their operations in larger public interest, so as to foster higher availability of **liquefied** natural gas in the country;

And whereas clause (a) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006) mandates to protect the interest of the consumers by fostering fair trade and competition among the entities desirous of establishing or operating **the liquefied natural gas terminals;**

And whereas sub-section (1) of section 15 of the said Act envisages that the entities, desirous of establishing or operating **liquefied natural gas terminals**, need to fulfill the eligibility conditions **before** making an application to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board for their registration under the said Act;

IndiaCode

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 read with clause (e) of sub-section (2) of section 60 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title, application and commencement** :- (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Eligibility Conditions for Registration of Liquefied Natural Gas Terminal) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** . - In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board defined in clause (f) of section 2 and established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) all other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. **Eligibility conditions for registration**.- (1) Any entity desirous of establishing or operating a **liquefied natural gas terminal after the date of establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board**

IndiaCode

under sub-section (1) of section 3 of the Act, shall be eligible to make an application for registration to the Board, only on fulfillment of the following conditions, namely:-

(a) offer at all times, after registration, 20 per cent of its short term (less than 5 year contract) uncommitted re-gasification capacity or 0.5 Million Metric Tonnes Per Annum (MMTPA), whichever is higher, as common carrier capacity;

(b) adhere to the technical standards and specifications including safety standards in activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas, as prescribed by the Board by regulations, which are in force, including those prescribed by the Oil Industry Safety Directorate;

(c) furnish a bank guarantee to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board for an amount equal to 1 per cent of the estimated project cost of the liquefied natural gas terminal or Rs. 25 crore, whichever is less.

IndiaCode

[No.L-12018/6/2009-GP-II]

(Arunoday Goswami)
Under Secretary to the Government of India